

न्यूज टुडे

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)' को पुनर्बहाल करने वाली याचिका पर विचार कर सकता है

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका (PIL) पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती दी गई है। इस याचिका में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को फिर से बहाल करने की मांग की गई है।

NJAC अधिनियम, 2014 के बारे में

- संविधान में संशोधन: 99वें संविधान संशोधन द्वारा उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था।
- संरचना: न्यायाधीशों की सिफारिश छह सदस्यीय NJAC द्वारा की जानी थी। इस आयोग के सदस्य थे; भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, तथा दो 'प्रख्यात व्यक्ति'।
- न्यायिक निर्णय: 'फोर्थ जजेस केस' (2015) में NJAC को 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' जैसे संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया गया।

कॉलेजियम प्रणाली से जुड़ी चिंताएं

- अस्पष्टता और जवाबदेही का अभाव: कॉलेजियम के निर्णय संसद या कार्यपालिका जैसे किसी अन्य बाह्य प्राधिकरण के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं।
- सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने की आलोचना: महिला न्यायाधीशों की संख्या कम होने या वंचित समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की जाती रही है।
- संविधान में स्पष्ट प्रावधान नहीं होना: कॉलेजियम प्रणाली 'श्री जजेस केस' में न्यायिक व्याख्या से विकसित हुई है। इस तरह यह इस सिद्धांत को कमजोर करती है कि देश में संस्थागत ढांचा संसद द्वारा निर्धारित होना चाहिए।
- रिक्तियां: कॉलेजियम और कार्यपालिका के बीच लगातार टकराव से न्यायाधीशों की नियुक्तियों में देरी होती है।

निष्कर्ष

जहाँ एक ओर कॉलेजियम प्रणाली 'न्यायपालिका की स्वतंत्रता' को सुरक्षित रखती है, वहीं ऊपर उल्लेख की गई चिंताएँ सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

- कुछ आवश्यक रक्षोपाय प्रावधानों के साथ NJAC का पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा कॉलेजियम प्रणाली को एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाली संस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है।

उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली


- न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती हैं। इस व्यवस्था को प्रक्रिया ज्ञापन (मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया है।
 - मेमोरेण्डम ऑफ प्रोसीजर एक नियम-पुस्तिका है जिसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, अनुसंधान और परामर्श की प्रक्रिया तय होती है।
- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ:
 - शीर्ष न्यायालय की कॉलेजियम प्रणाली में भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ:
 - संबंधित उच्च न्यायालय के कॉलेजियम में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं।
 - उपर्युक्त की सिफारिश पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम में CJI और उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों से भी राय लेते हैं जो संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित होते हैं, भले वे कॉलेजियम के सदस्य न हों।

केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 'बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025' रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में भारत में पशुधन क्षेत्र के सुदृढ़ होने का उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्र भारत की कृषि अर्थव्यवस्था का तेजी से महत्वपूर्ण संचालक बनता जा रहा है।

- रिपोर्ट में पशुधन क्षेत्र के उल्लेखनीय उत्पादन वृद्धि, व्यापक रूप से डिजिटल तकनीकों को अपनाने और वैश्विक बाजार में मजबूत उपस्थिति दर्ज करने जैसी विशेषताओं का उल्लेख है।

मुख्य पशुधन-उत्पादन के आकलन



क्षेत्रक	मुख्य बिंदु
दुग्ध	<ul style="list-style-type: none"> विश्व में उत्पादन में स्थान: पहला कुल उत्पादन: 247.87 मिलियन टन अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता: 2024-25 में 485 ग्राम प्रतिदिन (2014-15 के 319 ग्राम प्रतिदिन से अधिक) सबसे अधिक उत्पादक राज्य: उत्तर प्रदेश (15.66%), राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र विश्व में योगदान: विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में भारत की लगभग 25% हिस्सेदारी।
अंडा	<ul style="list-style-type: none"> विश्व में उत्पादन में स्थान: दूसरा कुल उत्पादन: 149.11 अरब (बिलियन) संख्या अनुमानित प्रति व्यक्ति उपलब्धता: 106 अंडे प्रतिवर्ष वाणिज्यिक कुक्कुट-पालन (पोल्ट्री) ने राष्ट्रीय स्तर पर कुल अंडा उत्पादन में 84.49% योगदान दिया। सबसे अधिक उत्पादक राज्य: आंध्र प्रदेश (18.37%), तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक।
मांस	<ul style="list-style-type: none"> विश्व में उत्पादन में स्थान: चौथा कुल उत्पादन: 10.50 मिलियन टन अनुमानित कुक्कुट (पोल्ट्री) से मांस उत्पादन 5.18 मिलियन टन रहा, जो कुल मांस उत्पादन का लगभग आधा है। सबसे अधिक उत्पादक राज्य: पश्चिम बंगाल (12.46%), उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
ऊन	<ul style="list-style-type: none"> कुल उत्पादन: 34.57 मिलियन किलोग्राम अनुमानित सबसे अधिक उत्पादक राज्य: राजस्थान (47.85%), जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट" के विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली योजना को स्वीकृति दी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "सिंटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (REPMs) के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना" को स्वीकृति दी। इस योजना का उद्देश्य देश में रेयर अर्थ मैग्नेट्स की निरंतर और दीर्घकाल तक आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा इनके आयात पर निर्भरता कम करना है।

सिंटरिंग (Sintering) के बारे में: सिंटरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मैग्नेट यानी चुंबकीय पदार्थों को बिना पिघलाए अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। इससे मैग्नेट मजबूत होता है, उसकी चुंबकीय क्षमता बढ़ती है, और वह जंग लगने से अधिक सुरक्षित रहता है।

REPMs विनिर्माण योजना की मुख्य विशेषताएं

- ▶ वित्तीय परिव्यय: 7,280 करोड़ रुपये
 - ⊕ वित्तीय प्रोत्साहन व्यवस्था:
 - ⊕ 6,450 करोड़ रुपये: बिक्री-आधारित प्रोत्साहन (5 वर्षों तक)
 - ⊕ 750 करोड़ रुपये: संयंत्र/फैसिलिटी की स्थापना के लिए पूंजीगत सब्सिडी
- ▶ उद्देश्य:
 - ⊕ भारत में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की एकीकृत REPMs विनिर्माण क्षमता स्थापित करना।
- ▶ लाभार्थियों में विनिर्माण क्षमता आवंटन:
 - ⊕ 6,000 MTPA क्षमता वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 5 लाभार्थियों को आवंटित की जाएगी।
 - ⊕ प्रत्येक लाभार्थी को अधिकतम 1,200 MTPA विनिर्माण क्षमता आवंटित की जा सकती है।
- ▶ "एंड-टू-एंड" विनिर्माण एकीकरण: यह योजना उन सुविधाओं के विनिर्माण का समर्थन करेगी जो पूरी उत्पादन श्रृंखला को शामिल करती हैं। पूरी उत्पादन श्रृंखला में शामिल है:
 - ⊕ रेयर अर्थ ऑक्साइड → धातुएं → मिश्र धातुएं → तैयार रेयर अर्थ स्थायी मैग्नेट्स।
- ▶ योजना की कुल अवधि: 7 वर्ष
 - ⊕ 2 वर्ष: संयंत्र/फैसिलिटी की स्थापना (विकास अवधि में प्रोत्साहन) के दौरान;
 - ⊕ 5 वर्ष: बिक्री के आधार पर आर्थिक प्रोत्साहन वितरण।

रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (REPMs) के बारे में

- ▶ ये ऐसे स्थायी मैग्नेट हैं जो दुर्लभ मृदा तत्वों (Rare Earth Elements) की मिश्र धातुओं (alloys) से बनाए जाते हैं।
 - ⊕ दुर्लभ मृदा तत्व: यह 17 तत्वों का समूह है। इनमें आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड तत्वों के साथ-साथ स्कैंडियम और इट्रियम शामिल हैं।
- ▶ प्रमुख गुण: अत्यधिक चुंबकीय शक्ति, उच्च ऊर्जा घनत्व, तथा अन्य प्रकार के मैग्नेट्स की तुलना में श्रेष्ठ प्रदर्शन।
- ▶ प्रमुख उपयोग: इलेक्ट्रिक वाहन (EVs), नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, रक्षा क्षेत्रक में।

प्रधानमंत्री ने नागरिकों से मूल कर्तव्यों का पालन करने का आग्रह किया

26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने मूल कर्तव्यों का पालन करने और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में सक्रिय योगदान देने का आग्रह किया।

मूल कर्तव्यों की संवैधानिक स्थिति

- ▶ संवैधानिक प्रावधान: 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संविधान के भाग-4A के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- ▶ समिति की सिफारिश पर: स्वर्ण सिंह समिति (1976) की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- ▶ संशोधन: प्रारंभ में संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया।
- ▶ मूल कर्तव्यों के उद्देश्य:
 - ⊕ नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व निर्धारित करना,
 - ⊕ नागरिकों में देशभक्ति और एकता की भावना का संचार करना, तथा
 - ⊕ देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने को बढ़ावा देना।
- ▶ स्वरूप:
 - ⊕ ये वाद-योग्य नहीं (non-justiciable) हैं यानी इन कर्तव्यों के अनुपालन से जुड़े मामलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकते। इसके बावजूद शासन और नागरिकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए ये कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध

- ▶ पूरक प्रकृति का होना: अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक और एक-दूसरे पर निर्भर हैं। एक का सार्थक उपयोग तभी संभव है जब दूसरे का अनुपालन किया जाए।
- ▶ लोकतंत्र में संतुलन सुनिश्चित करना: मूल कर्तव्य सुनिश्चित करते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा अधिकारों के उपयोग से किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न हो या सामाजिक सद्भाव को हानि न पहुंचे।
- ▶ नैतिकता से संबंध: मूल कर्तव्य अनुशासन, संस्थाओं का सम्मान करने और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। इससे वह नैतिक ढांचा मजबूत होता है जिसमें मूल अधिकारों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होता है।
- ▶ मूल अधिकारों का सतत पालन: मूल अधिकार तभी सार्थक बने रहते हैं जब नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। वास्तव में मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों को दीर्घ-काल तक अक्षुण्ण रखने के लिए आधार प्रदान करते हैं।

कर्तव्य-केन्द्रित नैतिक ढांचे का समर्थन करने वाले दार्शनिक

- ▶ महात्मा गांधी: उन्होंने कहा कि "अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है"। जब व्यक्ति अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करता है, तो अधिकार स्वतः प्राप्त होते हैं। यह भी कि केवल वही अधिकार वास्तविक हैं जो कर्तव्यों के उचित पालन से उत्पन्न होते हैं।
- ▶ प्लेटो: उनका मत था कि न्यायपूर्ण राज्य वही है जहाँ व्यक्ति अपने-अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं। जब प्रत्येक वर्ग और नागरिक समुदाय के प्रति अपने दायित्वों को निभाते हैं तो सद्भावपूर्ण और सुव्यवस्थित समाज का निर्माण होता है।
- ▶ इमैनुअल कांट: उन्होंने श्रेणीबद्ध अनिवार्यता (Categorical imperative) के माध्यम से नैतिकता को कर्तव्य के सिद्धांत पर आधारित किया। उन्होंने कहा कि नैतिक आचरण, कर्तव्य-पालन से निर्देशित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं या साध्य (परिणामों) की खोज से।
 - ⊕ श्रेणीबद्ध अनिवार्यता (Categorical imperative) के अनुसार व्यक्ति को ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करना चाहिए जिन्हें सभी पर लागू किया जा सके, चाहे उसकी व्यक्तिगत आकांक्षाएं या संभावित परिणाम कुछ भी हों।

अन्य सुर्खियां



संविधान का अनुच्छेद 141

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में इस पर चिंता व्यक्त की कि न्यायालय की कुछ खंडपीठ, पूर्व में न्यायाधीशों की समान संख्या वाली खंडपीठ (Coordinate Bench) के निर्णयों/आदेशों को पलट रही हैं। इस मामले में 'विधिक सातत्यता (Legal consistency)' के महत्व पर जोर दिया गया।

➤ विधिक सातत्यता वह सिद्धांत है जिसके अनुसार विधि और विधि पर निर्णय सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए और एक-दूसरे के विपरीत नहीं होने चाहिए।

अनुच्छेद 141 के बारे में

- यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है।
- एकरूपता: यह प्रावधान सभी राज्यों में तथा निचली अदालतों में विधि की समान व्याख्या सुनिश्चित करता है।
- प्रमाणिकता: सांविधिक और संवैधानिक विषयों (Statutory and constitutional matters) पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अंतिम कानूनी प्राधिकार माने जाते हैं।
- विस्तार क्षेत्र: न्यायालय के निर्णय के केवल मुख्य तर्क यानी निर्णय का मूल विधिक सिद्धांत (ratio decidendi) बाध्यकारी होता है, जबकि सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणियां या विचार (obiter dicta) बाध्यकारी नहीं होते।



मैटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल (MRO)

प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में LEAP विमान इंजनों के लिए सफरान कंपनी के मैटेनेंस (रखरखाव), रिपेयर (मरम्मत) और ओवरहाल (नवीनीकरण) यानी MRO प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया।

➤ LEAP इंजन: यह CFM इंटरनेशनल द्वारा विकसित ईंधन-दक्ष अगली पीढ़ी का वाणिज्यिक विमान इंजन है।

MRO के बारे में

- MRO उन औद्योगिक और तकनीकी प्रक्रियाओं को कहा जाता है जो सुनिश्चित करती हैं कि विमान इंजन, उनके पुर्जों और पूरी प्रणाली उड़ान-योग्य (airworthy) और क्रियाशील बनी रहें।
- इस प्रक्रिया में नियमित रखरखाव, मरम्मत, निरीक्षण, नवीनीकरण, और पुर्जों को बदलना शामिल हैं।



PM 1

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में PM1 के स्तर की निगरानी नहीं होती, जबकि यह PM2.5 की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करता है।

- परिभाषा: PM1 वे कण होते हैं जिनका आकार 1 माइक्रोन से भी कम होता है।
- मुख्य स्रोत: वाहनों के धुएँ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के धुएँ तथा उत्सर्जन, दहन प्रक्रियाओं और लकड़ी जलाने या आग से निकलने वाले धुएँ।
- मुख्य खतरे:
 - ⊕ यह फेफड़ों के उत्तकों तक पहुँच सकता है, रक्त-प्रवाह में मिल सकता है, शरीर के आंतरिक अंगों तक पहुँच जाता है।
 - ⊕ इसके साथ भारी धातुएँ, रसायन और वाष्पशील यौगिक भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
- विनियमन की कमी: भारत के वर्तमान वायु-गुणवत्ता मानकों के तहत PM1 को विनियमित नहीं किया जाता। साथ ही, यहाँ PM1 स्तर की निगरानी के लिए अवसंरचनाओं की कमी है।



अंतरराष्ट्रीय IDEA (International IDEA)

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 'अंतरराष्ट्रीय IDEA' के अध्यक्ष का पद धारण करने वाले हैं। इससे निर्वाचन से संबंधित वैश्विक प्रशासन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और सुदृढ़ होगी।

अंतरराष्ट्रीय IDEA के बारे में

- यहाँ IDEA से आशय है, लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान (Institute for Democracy and Electoral Assistance) .
- यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देता है।
- उद्देश्य: निर्वाचन प्रक्रियाओं, संविधान-निर्माण, लोकतंत्र के मूल्यांकन, भागीदारी और शासन सुधारों में सहायता देना।
- सदस्य: 35 देश (संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान पर्यवेक्षक देश)।
 - ⊕ भारत इस संगठन का सदस्य है।



फिन्स वीवर (Finn's Weaver)

फिन्स वीवर प्रजाति तराई के दलदली निचले इलाकों से गायब हो रही है। यह क्षेत्र इस पक्षी प्रजाति का आखिरी बचा हुआ मुख्य पर्यावास है।

फिन्स वीवर के बारे में

- फिन्स वीवर (प्लोसियस मेगारिन्जस) घासभूमि और आर्द्रभूमि में दिखने वाला पक्षी है। यह मुख्य रूप से भारत और नेपाल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है।
- इसे येलो वीवर और हिमालयन वीवर भी कहा जाता है। उत्तराखंड में इसे पहाड़ी बय्या के नाम से जाना जाता है।
- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: एंडेजर्ड
- पर्यावास: दलदली भूमि, जल के किनारे वनस्पतियां, लंबी घास वाले क्षेत्र।
- खतरा: पर्यावास का नष्ट होना, कृषि क्षेत्र का विस्तार, घासभूमि का अन्य उद्देश्यों से उपयोग में लाना, घोंसलों के अण्डों का शिकार।



जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी (JUNO)

चीन ने JUNO का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है।

JUNO के बारे में

- JUNO, चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में नया भूमिगत न्यूट्रिनो-डिटेक्टर है।
- इसका उद्देश्य न्यूट्रिनो ऑसिलेशन (न्यूट्रिनो के बदलते रूप) का अध्ययन करना और न्यूट्रिनो के द्रव्यमान क्रम (न्यूट्रिनो मास ऑर्डरिंग) को समझना है।
- नोट: यह जापान के Juno मिशन से अलग है। जापान का Juno मिशन बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करता है।



राष्ट्रमंडल (Commonwealth)

भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेल (कॉमनवेल्थ गेम्स) की मेजबानी का अधिकार सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स का 100वां शताब्दी (सेंटेनरी) समारोह भी होगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में

- ▶ यह बहु-खेल आयोजन है। यह प्रत्येक चार वर्षों पर आयोजित होता है। इसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी।
- ▶ भारत ने इससे पहले 2010 में 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी।
- ▶ अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से 2030 के सेटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए चुना गया है।

राष्ट्रमंडल के बारे में

- ▶ इसकी शुरुआत 1926 के इम्पीरियल कॉन्फ्रेंस से मानी जाती है, जहाँ ब्रिटेन और उसके डोमिनियन राज्यों ने सहमति दी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक समान समुदाय के सदस्य हैं।
- ▶ लंदन घोषणा-पत्र (1949) ने आधुनिक राष्ट्रमंडल की नींव रखी और यह स्पष्ट किया कि गणराज्य और अन्य देश भी राष्ट्रमंडल के सदस्य बन सकते हैं।
- ▶ सदस्य देश: कुल 56 देश।



प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK)

केंद्र सरकार ने PMJVK के क्रियान्वयन की समीक्षा की और इसके पोर्टल तथा SNA-SPARSH के बेहतर उपयोग पर जोर दिया।

PMJVK के बारे में

- ▶ योजना का प्रकार: यह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही केंद्र-प्रायोजित योजना है।
- ▶ उद्देश्य: अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल, पेयजल, स्वच्छता और कौशल विकास सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- ▶ किन क्षेत्रों में लागू: अल्पसंख्यक जनसंख्या मानदंड पूरा करने वाले सभी सभी जिले।
- ▶ पात्रता: ऐसे क्षेत्र जहां 15 किलोमीटर के दायरे (कैचमेंट क्षेत्र) में अल्पसंख्यक आबादी कुल आबादी की 25% से अधिक हो।

सिंगल नोडल एजेंसी - सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव अकाउंटिंग रिसोर्स फॉर स्टेट हार्मोनाइजेशन (SNA-SPARSH)

- ▶ SNA-SPARSH प्रणाली वित्त प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। यह केंद्र और राज्यों से मिलने वाले वित्त-पोषण को समय पर उपलब्ध कराने में मदद करती है।
- ⊙ यह प्रणाली राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS) को भारतीय रिजर्व बैंक के e-Kuber प्लेटफॉर्म से जोड़कर कार्य करती है।

सुर्खियों में रहे स्थल



स्लोवेनिया (राजधानी: लुब्लियाना)

व्यापार पर भारत-स्लोवेनिया की संयुक्त समिति ने द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी की समीक्षा की।

भौगोलिक अवस्थिति

- ▶ स्लोवेनिया मध्य यूरोप में स्थित है।
- ▶ पड़ोसी देश: इसके उत्तर में ऑस्ट्रिया, पश्चिम में इटली, उत्तर-पूर्व में हंगरी; तथा दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और पूर्व में क्रोएशिया अवस्थित हैं।
- ▶ सामुद्रिक सीमा: दक्षिण-पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से लगती है।
- ▶ यूरोपीय संघ (EU) की सदस्यता: 1 मई, 2004 से सदस्य।

भौगोलिक विशेषताएं

- ▶ मुख्य भौगोलिक क्षेत्र:
 - ⊕ अल्पाइन क्षेत्र
 - ⊕ क्रास (कार्स्ट) क्षेत्र
 - ⊕ उपजाऊ सब-पैनोनिया क्षेत्र
 - ⊕ प्रिमोस्का या स्लोवेनियन तटीय क्षेत्र
- ▶ मुख्य नदियां: सावा, ड्रावा, मूरा
- ▶ जलवायु: मुख्यतः समशीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु प्रकार।

